न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

अनुसूची-14 फारम : 562

पार्वती देवी ....प्रथम पक्ष

बनाम

टेकलाल महतो वो.............द्वितीय पक्ष

वाद संख्या........91/21........ धारा......144......द०प्र०सं०

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० के. ता०..............................से..............................तक

जिला..............................सं०..............................सन् 20..........

केस का प्रकार..............................

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
	धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही/नोटिस मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी...बगोदर.....के पत्रांक 06/21 दिनांक....28/06/21.....के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोक जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक ....15/07/21....को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा - बेको, थाना - बगोदर, जिला - गिरिडीह खाता सं० - 49, प्लाट सं० - 9393 रकबा - 04 डी० चौहद्दी उ० - कंचन महतो द० - स्व० भैरो महतो पू० - स्व० जागेश्वर महतो बीज प० - रास्ता लेखापित अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया अनु० दण्डा० - बगोदर - सरिया	

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
15/07/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। Both parties should file sc by next date. Put up on 29/7/21. [signature] 15/7/21	
29/07/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अलग है। अभिलेख दिनांक- 12/08/21 को रखें। [signature] 29/7	
12/08/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दि0- 02/09/21 को उपस्थापित करें। अनु0 पदा0	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
02/09/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया है कि यह विवाद मूलतः रास्ता को लेकर है अतः 147 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई करें। द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त वाद में शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना है जिस पर थाना प्रभारी की अनुशंसा प्राप्त है। अतः 144 जारी रखा जाय। आदेशार्थ रखें। (हस्ताक्षर) 2/9/21 आदेश उभयपक्षों को सुना। कालबाधित के कारण वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है। (हस्ताक्षर) 4/9/21	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.10.05 13:33:48 +05:30
Location: 192.168.43.238